इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 सितम्बर 2021—भाद्र 23, शक 1943

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2021

क्र. 11709-265-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 6 सितम्बर, 2021 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०२१

विषय-सूची

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

२. धारा ४ का स्थापन.

३. धारा ३४ का संशोधन.

४. धारा ३५ का लोप.

५. धारा ३७ का संशोधन.

६. धारा ३८-क का संशोधन.

७. धारा ४०-क का संशोधन.

८. धारा ४९-क का संशोधन.

९. धारा ५४-क का संशोधन.

१०. धारा ६१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २६ सन् २०२१

मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०२१

[दिनांक 6 सितम्बर, २०२१ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 14 सितम्बर, 2021 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, २०२१ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का स्थापन. २. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, १९१५ (क्रमांक २ सन् १९१५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"४. **"देशी मदिरा" "विदेशी मदिरा", और "हेरीटेज मदिरा" घोषित करने की शक्ति.**—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए या उसके भाग के लिए, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि कौन सी मदिरा "देशी मदिरा", "विदेशी मदिरा" और "हेरीटेज मदिरा" समझी जाए.".

धारा ३४ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा ३४ में, उपधारा (४) में, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (२)" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक तथा अंक "उपधारा (३)" स्थापित किए जाएं.

धारा ३५ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा ३५ का लोप किया जाए.

धारा ३७ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा ३७ में, शब्द "एक हजार रुपए" के स्थान पर, शब्द "दस हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा ३८-क का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ३८-क में, शब्द "तीन सौ रुपए" और "दो हजार रुपए" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "तीस हजार रुपए" और "दो लाख रुपए" स्थापित किए जाएं.

धारा ४०-क का संशोधन. ७. मूल अधिनियम की धारा ४०-क में शब्द "दो वर्ष" तथा "दो हजार रुपए" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "तीन वर्ष" तथा "तीन हजार रुपए" स्थापित किए जाएं.

८. मूल अधिनियम की धारा-४९-क में,— धारा ४९-क का संशोधन.

(एक) उप-धारा (१) में, खण्ड (एक), (दो) एवं (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(एक)	यदि मानवीय उपभोग के लिए अनपयुक्त पाई जाती है—	कारावास से, जो छह मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो छह वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डनीय होगा;
(दो)	मनुष्य को क्षति पहुंचाती है—	कारावास से, जो दो वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आठ वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डनीय होगा;
(तीन)	मनुष्य की मृत्यु कारित करती है—	कारावास से, जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किंतु जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डनीय होगा.".

(दो) उपधारा (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) जब किसी व्यक्ति को इस धारा के अधीन द्वितीय या किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया जाता है तो वह परिस्थितियों के सापेक्ष्य में,—

"(क)	उपधारा (१) के खण्ड (एक) के अधीन.	कारावास से जो छह वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो दस वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डित किया जाएगा;
(ख)	उपधारा (१) के खण्ड (दो) के अधीन.	कारावास से जो दस वर्ष से कम का नहीं होगा किन्तु जो चौदह वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी जो दस लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डित किया जायेगा;
(ग)	उपधारा (१) के खण्ड (तीन) के अधीन.	मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी जो बीस लाख रुपए से कम का नहीं होगा दण्डित किया जाएगा.".

(तीन) उपधारा (२) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण.**—इस धारा में, "विकृत स्पिरिट युक्त निर्मिति" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी निर्मिति जो विकृत स्पिरिट से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत ऐसी स्पिरिट युक्त निर्मिति से बनी मदिरा, फ्रेन्च पोलिश, वार्निश और तरल द्रावक आती हैं.".

धारा ५४-क का संशोधन. ९. मूल अधिनियम की धारा ५४-क में, परन्तुक का लोप किया जाए.

धारा ६१ का संशोधन. १०. मूल अधिनियम की धारा ६१ में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(क) इस अधिनियम के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या पास की किसी शर्त के उल्लंघन के लिए धारा ३४, धारा ३७, धारा ३८, धारा ३८-क, धारा ३९ और धारा ४४ के अधीन, किसी अपराध का संज्ञान, कलक्टर या जिला आबकारी अधिकारी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी ऐसे आबकारी अधिकारी के, जिसे कलक्टर द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, लिखित परिवाद या रिपोर्ट पर ही;".

भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2021

क्र. 11709-265-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश आबकारी (संशोधन) अधिनियम, 2021 (क्रमांक 26 सन् 2021) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 of 2021

THE MADHYA PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2021

TABLE OF CONTENTS

Sections:

1. Short title and commencement.
2. Substitution of section 4.
3. Amendment of section 34.
4. Deletion of section 35.
5. Amendment of section 37.
6. Amendment of section 38-A.
7. Amendment of section 40-A.
8. Amendment of section 49-A.
9. Amendment of section 54-A.
10. Amendment of section 61.

MADHYA PRADESH ACT

No. 26 of 2021

THE MADHYA PRADESH EXCISE (AMENDMENT) ACT, 2021

[Received the assent of the Governor on the 6th September, 2021; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 14th September, 2021.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Excise Act, 1915.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Excise (Amendment) Act, 2021.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Substitution of section 4.

2. For section 4 of the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915) (hereinafter referred to as the principal Act), the following section shall be substituted, namely:—

"4. **Power to declare "country liquor", "foreign liquor" and "heritage liquor".—** For the purposes of this Act, or any part thereof, the State Government may, by notification, declare what, shall be deemed to be "country liquor", "foreign liquor" and "heritage liquor".

Amendment of section 34.

3. In section 34 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, bracket and figure "sub-section (2)", the words, bracket and figure "sub-section (3)" shall be substituted.

Deletion of section 35.

4. Section 35 of the principal Act shall be deleted.

Amendment of section 37.

5. In section 37 of the principal Act, for the words "one thousand rupees", the words "ten thousand rupees" shall be substituted.

Amendment of section 38-A.

6. In section 38-A of the principal Act, for the words "three hundred rupees" and "two thousand rupees" the words "thirty thousand rupees" and "two lakh rupees" shall be substituted respectively.

Amendment of section 40-A.

7. In section 40-A of the principal Act, for the words " two years" and "two thousand rupees", the words "three years" and "three thousand rupees" shall be substituted respectively.

Amendment of section 49-A

8. In section 49-A of the principal Act,—

(i) in sub-section (1), for clause (i), (ii) and (iii), the following clauses shall be substituted, namely:—

"(i)	if found unfit for human consumption—	with imprisonment which shall not be less than six months, but which may extend to six years and also with fine which shall not be less than one lakh rupees;

(ii)	causes injury to human being—	with imprisonment which shall not be less than two years but which may extend to eight years and also with fine which shall not be less than two lakh rupees;
(iii)	causes death of a human being—	with imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life and also with fine which shall not be less than five lakh rupees.";

(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(2) When any person is convicted under this section for a second or subsequent offence, he shall be punished in relation to circumstances—

(a)	under clause (i) of sub-section (1)	with imprisonment which shall not be less than six years but which may extend to ten years and also with fine which shall not be less than five lakh rupees;
(b)	under clause (ii) of sub-section (1)	with imprisonment which shall not be less than ten years but which may extend to fourteen years and also with fine which shall not be less than ten lakh rupees;
(c)	under clause (iii) of sub-section (1)	with death or imprisonment for life and also with fine which shall not be less than twenty lakh rupees.".

(iii) after sub section (2), the following explanation shall be added, namely:—

"Explanation.—In this section" denatured spirituous preparation "means any preparation made with denatured spirit and includes liquors, french polish, varnish and thinners prepared out of such spirituous preparation.".

Amendment of section 54-A.

9. In section 54-A of the principal Act, proviso shall be deleted.

Amendment of section 61.

10. In section 61 of the principal Act, in sub-section (1), for clause—

(a), the following clause shall be substituted, namely:—

"(a) under section 34 for the contravention of any condition of license, permit or pass granted under this Act, section 37, section 38, section 38-A, section 39 and section 44, except on a written complaint or report of the Collector or an Excise Officer not below the rank of District Excise Officer as may be authorised by the Collector in this behalf;".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.